रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 2, 2007/फाल्गुन 11, 1928
No. 219] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 2007/PHALGUNA 11, 1928

लघु उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2007

का.आ. 310(अ).—केन्द्रीय सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट "मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों या राज्य अभिकरणों को वित्तीय सहायता" शीर्षक कार्यक्रम और कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करती है।

अनुसूची

कार्यक्रम

शीर्षक : मिनी टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों या राज्य अभिकरणों को वित्तीय सहायता।

मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. **आवश्यकता :** देश में क्वालिटी टूल्स तथा डाईज की विशेषतौर पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में बढ़ती मांग की दृष्टि से भारत सरकार ने मिनी टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2001 में एक कार्यक्रम शुरू किया है।

2. **लागत :** किसी विशिष्ट मिनी टूल रूम की प्राक्कलित लागत लगभग 15 करोड़ रु. है (मशीनरी और उपस्कर की लागत के मद्दे 10 करोड़ रु. सहित) तथापि, यह लागत प्रस्तावित क्रियाकलाप के करने पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक नए मिनी टूल रूम परियोजना के मामले में केन्द्रीय वित्तीय सहायता एकबारगी अनुदान सहायता जोकि मशीनरी और उपस्कर की लागत के 90% के बराबर होगी (9.00 करोड़ रु. तक प्रतिबन्धित) तथा विद्यमान मिनी टूल रूम जिसका उन्नयन या आधुनिकीकरण किया जाना है, इसके मामले में यह मशीनरी और उपस्कर की लागत का 75% होगी (7.50 करोड़ रु. तक प्रतिबन्धित)। मशीनरी और उपस्कर की शेष लागत, भूमि तथा भवन की लागत तथा आवर्ती लागत की पूर्ति राज्यों या राज्य अभिकरणों द्वारा की जाएगी।

3. **उद्देश्य :** कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :—

(1) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए जिग्स, फिक्सचर्स, कर्तन टूल्स, गेजेस, प्रेस टूल्स, प्लास्टिक मोल्डस, फोर्जिंग डाईज, प्रैशर कास्टिंग डाईज तथा अन्य टूलिंग का विनिर्माण करना। कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन (सीएडी) या कम्प्यूटर की सहायता से विनिर्माण (सीएएम) तकनीक को अपना कर उन्नत टूल बनाने की प्रक्रिया प्रयुक्त करना।

(2) निपुण कर्मकारों, पर्यवेक्षकों, इंजीनियरों तथा डिजाइनरों आदि के कार्य बल के सृजन के लिए टूल विनिर्माण तथा टूल डिजाइनिंग में प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना।

(3) क्षेत्र में उद्योगों से सम्बद्ध समस्याओं के समाधान के लिए परामर्शी, सूचना सेवा, टूलिंग प्रलेखन इत्यादि के लिए न्यूक्लियस केन्द्र के रूप में कार्य करना।

(4) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए साधारण सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा उत्पाद तथा प्रोटो प्रकार के विकास में उनकी सहायता करना।

4. प्रक्रिया प्रस्तावों के लिए प्रक्रिया

1. **राज्य सरकारें :–**

(क) राज्य सरकारें जो मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए इच्छुक हैं, वे मांग सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तावों को बनाएंगी। अपेक्षित भूमि, भवन, मशीनरी तथा उपस्करों का ब्योरा बनाया जाएगा तथा लागत प्राक्कलन किया जाएगा (विशिष्ट मिनी टूल रूम के लिए सुझायी गई मशीनरी और उपस्कर की सूची को उपाबंध-I में दर्शाया गया है)। तथापि, राज्य सरकारें सेवा किए जाने वाले उद्योग की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मशीनरी की सूची में परिवर्तन करने के लिए स्वतन्त्र होंगी।

(ख) राज्य सरकारें सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करेंगी तथा इसके उपरान्त प्रस्तावों को (उपाबंध-II में दिए गए विदित प्रारूप में) भारत सरकार, विकास आयुक्त (ल.उ.) का कार्यालय, 7वां तल, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति हेतु अग्रेषित करेंगी। भारत सरकार को प्रस्तावों को अग्रेषित करते समय राज्य सरकारें मशीनरी और उपस्कर की शेष लागत, भूमि की लागत तथा बिल्डिंग तथा आवर्ती लागतों की पूर्ति करने के संबंध में पुष्टि करेंगी।

2. **भारत सरकार :**–विकास आयुक्त (ल.उ.) का कार्यालय, लघु उद्योग मंत्रालय राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन लेने से पूर्व विद्यमान टूल रूमों के भौगोलिक प्रसार तथा प्रस्तावों की वित्तीय जीवनक्षमता को ध्यान में रखेगा ।

5. अनुदान सहायता की निर्मुक्ति :-

(1) राज्य सरकारों से विनि... अनुरोधों के प्राप्त होने पर, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन तथा मशीनरी की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिए जाने के उपरान्त तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यय के शेयर की पूर्ति हेतु किए गए आवश्यक बजटीय उपबन्धों के उपरान्त केन्द्रीय सहायता को राज्य या राज्य अभिकरणों को किस्तों में दिया जाएगा ।

(2) राज्य सरकारें या राज्य अभिकरण साधारण वित्तीय नियम, 2005 के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

(3) मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तिम तौर पर प्रचालन के पश्चात् राज्य सरकार या राज्य अभिकरण पूर्ण रिपोर्ट को भारत सरकार को सूचनार्थ भेजेंगे । तत्पश्चात मिनी टूल रूम की वार्षिक रिपोर्ट को 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा ताकि कार्यक्रम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके । राज्य सरकारें या राज्य अभिकरण कार्यान्वन अभिकरणों के शासित बोर्डों में केन्द्रीय सरकार से किसी को मनोनीत करने की व्यवस्था करेंगी ।

(4) कार्यक्रम को तारीख 31-3-2007 तक स्वीकृति दी जाती है ।

[फा. सं. 21/एमटीआर/एमएसएमईडी-अधि./2006/टीआर-II]

जवाहर सरकार, अपर सचिव

उपाबंध-I

[अनुच्छेद IV (1) (क) में निर्दिष्ट]

मिनी टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र

मशीनरी की प्रस्तावित सूची

क्र. सं.	मशीन/उपस्कर का विवरण	आकार/विनिदेश	मात्रा (संख्या)
1.	**शेपिंग**		
	शेपिंग मशीन	300 एमएम स्ट्रोक	2
2.	**टर्निंग**		
	पारंपरिक लेथ	250×800 एमएम	5
	सीएनसी लेथ	250×400 एमएम	3

3.	**मिलिंग**		
	पारंपरिक मिलिंग	600×450×450 एमएम	6
	सीएनसी मिलिंग	600×450×450 एमएम	2
	इलेक्ट्रोड मेकिंग		1
	पेंटोग्राफ		1
4.	**ग्राइंडिंग**		
	सिलेंड्रिकल ग्राइंडिग	100×350–130×630 एमएम	3
	सरफेस ग्राइंड्रिंग	600×300-800×450 एमएम	3
	टूल एंड कटर ग्राइंडिंग	130×630 एमएम	2
	परीक्षण और निरीक्षण उपस्कर (प्रोफाइल प्रोजेक्टर, हाइट माइक्रोमीटर, स्लिप बॉक्स, कंपेरेटर आदि)		लाट
5.	**उन्नत मशीनें**		
	सीएनसी वायरकट	400×250×250 एमएम	1
	स्पार्क इरोजन	550×300×300 एमएम	2
	जिग बोरिंग	450×250×300 एमएम	1
	जिग ग्राइंडिंग	450×250×300 एमएम	1
	3डी कोआर्डिनेट मापन	600×450×600 एमएम	1
6.	**सीएनसी ट्रेनिंग**		
	प्रोग्रामिंग स्टेशन	पीआईवी सर्वर/क्लाइंट/	8
	ट्रेनर लेथ	सॉफ्टवेयर 70×300 एमएम टेबर टॉप/सॉफ्टवेयर	2
	ट्रेनर मिलिंग	टेबल टॉप/सॉफ्टवेयर	2
7.	**कैड/कैम**		
	कैड कार्यक्रम	कारीगर/सॉलिडवर्क्स	7
	कैम कार्यक्रम	कारीगर/मास्टर कैम	6
8.	**संबद्ध उपस्कर**		
	हीट ट्रीटमेंट		लाट
	प्रत्यक्ष/केस/टेंपरिंग		
	ड्रिलिंग	15 एमएम, 25 एमएम और 40 एमएम	3
	रीडायल ड्रिलिंग	63 एमएम	1
	पेडस्टल/बेंच ग्राइंडर	150 एमएम, 200 एमएम	3
	आर्क वेल्डिंग सेट		1
	गैस वेल्डिंग/कटिंग		1
	पावर आरी		1
9.	**फिटिंग** (वर्क बेंच, लॉकर, आदि)		28
10.	**ट्राइआडट मशीनें**		
	पावर प्रेस	100 एमटी	1
	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	130 एमटी	1
11.	**एसेसरीज**		
	कटिंग टूल्स, उपभोगयोग्य मशीन एसेसरीज	कारबाइड, एचएसएस, ग्राइंडिंग व्हील्स	2 सेट

	मापन उपकरण	स्लीव्स, कॉलेट्स/होल्डर्स	2 सेट
	हैंड टूल्स	कैलिपर्स, मोइक्रोमीटर्स	2 सेट
		स्पैनर्स, फाइलें आदि	2 सेट
12.	**सर्विस उपस्कर**		
	डीजी सेट	250 केवीए	1
	एयर कंडीशनिंग उपस्कर		लाट
	मैटीरियल हैंडलिंग	पैलेट ट्रक, सीजर टेबल	लाट
	एयर कंप्रेसर्स/पाइपिंग	इलेक्ट, डीबी, यूपीएस, आदि	लाट
	विविध उपस्कर		लाट
	कुल लागत		

टिप्पण:- 1. कार्यालय उपस्कर/फर्नीचर संयंत्र और मशीनरी के भाग नहीं होंगे ।

2. की जाने वाली गतिविधियों और क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा अन्य स्थानीय मानदंडों के आधार पर उपर्युक्त मशीनरी और उसके घटक परिवर्तित हो सकते हैं ।

उपाबंध-II

[अनुच्छेद IV (1) (ख) में निर्दिष्ट]

मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता के लिए आवेदन का फारमेट

सेवा में,

अपर सचिव तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग),
लघु उद्योग मंत्रालय,
7वां तल, निर्माण भवन,
मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110011

विषयः-मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों या राज्य के अभिकरणों को वित्तीय सहायता।

महोदय,

मैसर्स.....द्वारा करवाए गए एक मांग सर्वेक्षण के आधार पर.....राज्य सरकार ने निम्नलिखित ब्योरों के अनुसार.....रुपये की अनुमानित लागत पर उपरोक्त उल्लिखित कार्यक्रम के तहत.....में एक मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ।

		अनुमानित लागत लाख रुपये	
1.	भूमि	--	उपाबंध में ब्योरा
2.	भवन	--	दिया जाना है
3.	मशीनरी/उपस्कर	--	उपाबंध में ब्योरा
4.	आवर्ती व्यय	--	दिया जाना है
5.	प्रकीर्ण आकस्मिकताएं	--	
	कुल	---	

यह परियोजना.....द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और वित्तपोषत का स्त्रोत.....होगा ।

(लाख रुपये)

1.	भारत सरकार से अनुदान	---
2.	राज्य सरकार से अनुदान	---
3.	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	---
	कुल	---

परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1.

2.

3.

4.

परियोजना की अवधि ..... वर्षों की है । इस प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा .....

.....विभाग के संस्वीकृति पत्र संख्या..... दिनांक .....

.....के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया है । (प्रति संलग्न) ।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता मंजूर करें । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति भी अवलोकन के लिए संलग्न है ।

भवदीय,

नाम,

उद्योग निदेशक अथवा उद्योग आयुक्त

सरकार (राज्य)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2007

S.O. 310(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby notifies the programme and the guidelines of the programme titled as "Financial Assistance to States or State Agencies for setting up Mini Tool Room and Training Centres" as specified in the Schedule.

SCHEDULE

PROGRAMME

Title :—"Financial Assistance to States or State Agencies for Setting up Mini Tool Room and Training Centres".

GUIDELINES

I. Need.—In order to meet the growing demand of quality tools and dies in the country, particularly in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, Government of India have launched a programme in the year 2001, to render financial assistance to the State Governments to set up Mini Tool Room and Training Centres.

II. Cost.—The estimated cost of a typical Mini Tool Room is around Rs. 15 crore (including Rs. 10 crore towards cost of machinery and equipment). This cost may, however, vary depending upon the activities proposed to be undertaken. Under the programme, the quantum of Central financial assistance will be in the form of one time grant-in-aid equal to 90% of the cost of machinery and equipment (restricted to Rs. 9.00 crore) in each case of a new Mini Tool Room project, and 75% of the cost of machinery and equipment (restricted to Rs. 7.50 crore) in case of an existing Mini Tool Room to be upgraded or modernized. The balance cost of machinery and equipment, the cost of land and buildings and the recurring costs would be met by the States or State Agencies.

III. Objectives.—The objectives of the programme are :—

(1) To manufacture jigs, fixtures, cutting tools, gauges, press tools, plastic moulds, forging dies, pressure, castings dies and other toolings for Micro, Small and Medium Enterprises. Advanced tool making process using Computer Aided Design (CAD) or Computer Aided Manufacturing (CAM) techniques are to be adopted.

(2) To provide training facility in tool manufacturing and tool design to generate work force of skilled workers, supervisors, engineers and designers; etc.

(3) To work as Nucleus Centre for providing consultancy, information service, documentation, etc., for solving the problems related to toolings of industries in the region.

(4) To act as common facility Centre for micro, small and medium enterprises and to assist them in product and prototype development.

IV. Procedure for Processing Proposals

1. State Governments.—(a) The State Governments, desirous of setting up Mini Tool Room and Training Centres would formulate proposals based on the demand surveys. The details of land requirements, buildings, machinery and equipment would be drawn, and the cost estimates would be worked out. (A suggested list of machinery and equipment for a typical Mini Tool Room, is given at Annexure-I). The State Governments will, however, be free to make changes in the list of machinery taking into account the specific needs of the industry to be served.

(b) The State Governments would obtain approval of their competent authorities and then forward the proposals (in the prescribed format in Annx. II) to Government of India, Office of Development Commissioner (Small Scale Industries), 7th Floor, Nirman Bhavan, New Delhi-110011 for grant of Central Assistance. While forwarding the proposals to Government of India, the State Governments would confirm that they would meet the balance costs of the machinery and equipment, the cost of land and buildings and also the recurring costs.

2. Government of India.— Office of Devlopment Commissioner (Small Scale Industries), Ministry of Small Scale Industries will scrutinize the proposals received from the State Governments, and before taking the approval of the Competent Authority, they would take into account the geographical spread of the existing Tool Rooms and also the financial viability of the proposals.

V. Release of Grant-in-Aid.— (1) Central Assistance will be released to States or State Agencies in instalments, on receipt of specific requests from the State Governments after the infrastructure facilities have been created, and the proposals to procure the machinery have been finalized, and after the State Governments have made necessary budget provisions to meet their share of expenditure.

(2) The State Governments or State Agencies would furnish utilization certificates to Government of India in accordance with the provisions of General Financial Rules, 2005.

(3) After a Mini Tool Room and Training Centre becomes finally operational, The State Government or State Agency would send a completion report to Government of India for information. Thereafter, the Annual Report of the Mini Tool Room will also be sent to Govenment of India for a period of 5 years, to assess the performance of the Programme. The State Governments or State Agencies shall keep a provision for including a nominee of Central Government on the Governing Boards of the Implementing Agencies.

(4) The Programme is sanctioned up to 31-3-2007.

[F. No. 21/MTR/MSMED-Act/2006/TR-II]

JAWHAR SIRCAR, Addl. Secy.

ANNEXURE-I

[Referred to in para IV (1) (a)]

Mini Tool Room and Training Centres

Suggested list of machinery

S. No.	Description of machine/Equipment	Size/Specification	Quantity(Nos.)
1	2	3	4
1.	**Shaping**		
	Shaping Machine	300 mm stroke	2
2.	**Turning**		
	Conventional Lathe	250 × 800 mm	5
	CNC Lathe	250 × 400 mm	3
3.	**Milling**		
	Conventional Milling	600 × 450×450 mm	6
	CNC Milling	600 × 450×450 mm	2
	Electrode Making		1
	Pantograph		1

1	2	3	4
4.	**Grinding**		
	Cylindrical Grinding	100×350-130×630 mm	3
	Surface Grinding	600×300-800×450 mm	3
	Tool and Cutter Grinding	130×630 mm	2
	Testing and Inspection		lot
	Equipment		
	(Profile Projector, Height Micrometer, Slip Boxes, Comparator etc.		
5.	**Advance Machines**		
	CNC Wirecut	400×250×250 mm	1
	Spark Erosion	550×300×300 mm	2
	Jig Boring	450×250×300 mm	1
	Jig Grinding	450×250×300 mm	1
	3D Coordinate Measuring	600×450×600 mm	1
6.	**CNC Training**		
	Programming Stations	PIV Server/Clients/	8
	Trainer Lathe	Software 70×300 mm	2
		Table Top/Software	
	Trainer Milling	Table Top/Software	2
7.	**CAD/CAM**		
	CAD Programmes	Artisan/solidworks	7
	CAM programmes	Artisan/Maser CAM	6
8.	**Allied Equipment**		
	Heat Treatment		Lot
	Direct/Case/Tempering		
	Drilling	15mm, 25mm and 40mm	3
	Redial Drilling	63mm	1
	Pedestal/Bench Grinder	150mm, 200 mm	3
	Arc Welding Set		1
	Gas Welding/Cutting		1
	Power Hacksaw		1
9.	**Fitting**		
	(Work Benches, lockers etc.)		28
10.	**Tryout Machines**		
	Power Press	100 MT	1
	Injection Moulding	130 MT	1
	Machine		
11.	**Accessories**		
	Cutting Tools,	Carbide, HSS, Grinding	2 sets
	Consumable	Wheels	
	Machine Accessories		
	Measuring Instruments	Sleeves, Collets/Holders	2 sets
	Hand Tools	Calipers, Micrometers	2 sets
		Spanners, Files etc.	2 sets

1	2	3	4
12.	**Service Equipment**		
	DG Set	250 KVA	1
	Air Conditioning Equpt.		Lot
	Material Handling	Pallet Truck, Scissor Table	Lot
	Air Compressors/Piping	Elect. DBs, UPS etc.	Lot
	Misc. Equipment		Lot
	Total Cost		

Notes :— 1. Office equipment/furniture shall not form part of plant and machinery.

2. The above machinery and its configuration is subject to change depending upon activities to be taken up and the needs of the area and other local parameters.

ANNEXURE-II

[Referred to in pare IV(1)(b)]

Format for Applying for Central Assistance for Setting up Mini Tool Room and Training Centre

To

The Additional Secretary and Development Commissioner (SSI),
Ministry of Small Scale Industries
7th Floor, Nirman Bhavan,
Maulana Azad Road,
New Delhi-110011.

Subject :—Financial Assistance to States or State Agencies for setting up Mini Tool Room and Training Centres.

Sir,

Based on a demand survey conducted by M/s.....the State Government of .....have proposed to set up a Mini Tool Room and Training Centres at.....under the above mentioned programme at the estimated cost of Rs.....lakh as per details given below :—

		Estimated Cost Rs. lakh
1. Land	—Details to be given —in Annexure	
2. Buildings		
3. Machinery/Equipment	—Details to be given —in Annexure	
4. Recurring Expenses		
5. Miscellaneous contingencies	—	
	Total—	

The project will be implemented by.....and the source of financing will.....

	Rs. lakh
1. Grants from Government of India	—
2. Grants from State Government	—
3. Others (To be specified)	—
Total	—

The objectives of the project are :—

1.
2.
3.
4.

The gestation period of the project is.....years. The proposal has been approved by the State Government vide the Department of.....sanction letter No.....dated.....(copy enclosed).

Necessary provision of Rs.....has been made in the Budget for the year.....for this project.

You are requested to sanciton the Central assistance under the Programme. A copy of the detailed project report is also enclosed for perusal.

Yours faithfully,

Name
Director of Industries,
or Commissioner of Industries
Government of ..... (State)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.